राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	नाम अधिवक्ता
1.	1716 / 2025	दामोदर मीणा	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य	श्री राम शरण सिंह, अधिवक्ता
2.	1717 / 2025	सुनील कुमार शर्मा	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य	

आदेश की दिनांक : 10.03.2025

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 संस्कृत के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कंकराय, ग्राम पंचायत सनौरा, बाडी, धौलपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिलहेटा, ब्लॉक राजाखेड़ा, ग्राम पंचायत बजाना में किया गया, जिसके विरूद्ध माननीय अधिकरण में अपील संख्या 4465 / 2024 दायर की, जिसमें अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 10.01.2025 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने का आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में नजदीक के विद्यालय में पदस्थापित किया जाये। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुए खारिज कर दिया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन पर अथवा ब्लॉक बाड़ी धौलपुर में पदस्थापित रखा जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 24.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–2) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिलहेटा, ब्लॉक राजाखेड़ा, ग्राम पंचायत बजाना में किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई जिसमें अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 10.01.2025 को सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि अपीलार्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरई ब्लॉक बाडी में अधिशेष कार्मिक के रूप में कार्यरत थे। जिनका समायोजन राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक प. 5(8)प्राशि/2016 दिनांक 28.05.2019 के बिंदू सं. 11 के उप बिंदू m के अनुसार ही किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है। अधिकरण के आदेशानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया उसमें ब्लॉक बाड़ी में किसी भी रिक्त पद को नहीं दर्शाया गया है एवं समीप के ब्लॉक में पदस्थापन हेतु निवेदन किया है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 24.01.2025 द्वारा गुणावगुण एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किए अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश जारी कर निस्तारण किया जा चुका है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 1716/2025 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में संलग्न की जायें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)